Joint Secretary & Mission Director (SBM) GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT



प्रवीण प्रकाश, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एस.बी.एम.) भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय

D.O No. MD-SBM/AA/22/2016

Date: 17th March, 2016

Dear Sir,

As you are aware, Government of India is implementing the 'Swachh Bharat Mission' (SBM) with the goal of achieving a Clean India by 2nd October, 2019. The success of this to a large extent depends on creating awareness and influencing behavior change among citizens to further the goals and objectives of the Mission.

2. As this is a time bound mission, it is critical that such behavior change is being driven on all fronts in order for it to be fully successful. It is agreed that once the provisioning has been made and awareness created, driving behaviour change is also affected by punitive provisions for citizens indulging in wrong practices.

3. The state of Rajasthan has already notified a mechanism for levying penalty/carrying charges for littering in public places and not following correct practices in garbage disposal. A copy of the notification (English translation) is enclosed.

4. On similar lines, it is proposed that appropriate modifications be made to the relevant state municipal bye-laws, or other enabling provision, as the case may be, in order to enable the following:

- a) For Wards which have been declared Open Defecation Free (ODF) ref. DO letter vide dated 15th March 2016 and 2nd March 2016 (copies enclosed):
 - i. A spot fine/ penalty/ cleaning charge be levied on citizens who practice defecation in open.
 - ii. The municipal commissioner or any other officer authorized by the municipal commissioner is authorized to levy the above defined fine/ penalty/ charge and collect the same.
- b) For Wards which have been declared Litter Free i.e. wards where there is 100% routine door to door collection and an appropriate number of public litter bins have been made available:
 - i. A spot fine/ penalty/ cleaning charge be levied on citizens who practice littering and/or dumping garbage in public space or who practice unsuitable garbage disposal practices.
 - ii. The municipal commissioner or any other officer authorized by the municipal commissioner is authorized to levy the above defined fine/ penalty/ charge and collect the same.

एक कदम स्वच्छता का आर

Scanned by CamScanner

5. Therefore, it is proposed that such provisions be enacted across all wards of all cities in your state latest by October 2018. It is recommended that the following steps may be taken within the given timelines:

- Enabling provision in municipal bye-laws (as per para 4 above): By 15th April 2016.
- ii. Ward by ward, in every city, provision of door to door collection of garbage and provisioning of adequate number of public garbage bins: At least one ward in each city by April 31st 2016, all wards in 10-15 cities by end of 2016 and all wards in all cities by 30th September 2018.
- iii. Ward by ward, in every city, declaration of wards ODF: At least one ward in each city by April 31st 2016, all wards in 10-15 cities by end of 2016 and all wards in all cities by 30th September 2018.
- iv. Roll-out of spot fines/penalty/ charges as per para 4 above, in at least 1 ward in each city by April 31st2016, all wards in 10-15 cities by end of 2016 and all wards in all cities by 30th September 2018.

6. We look forward to your support in provisioning the above enablers expeditiously, and appropriately roll it out in the cities of your respective states.

With regards,

Yours sincerely. (Praveen Prakash)

То

ĩ

Chief Secretaries of all States

Copy

Director (Swachh Bharat Mission) CPHEEO, Section

Scanned by CamScanner

Government of Rajasthan

Department of Local Self Government, Jaipur

No.: F.55() CE/DLB/15/6625

Date: 11.03.2015

Notification

By using the authority vested through Rajasthan Municipal Corporation Act, 2009, section 337, sub section (4), in order to regularize Solid Waste Management and Handling Work in Municipal Corporation/Council/Municipality Areas and in view of the Urban Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000 issued in public interest through Environment and Forest Ministry, Government of India on 25 Sep 2000, the State Government hereby forms the following byelaws for Solid Waste of Urban Bodies (Management & Handling), i.e.: -

1. Name in brief and beginning: -

- These byelaws shall be called Solid Waste of Urban Bodies (Management & Handling) Byelaws - 2015.
- (ii) These byelaws shall come in force 30 days after their publication in the Rajasthan gazette.
- 2. **Applicability:** These byelaws shall be applicable equally within the limits of all the Municipal Corporation/Council/Municipality areas of the state.

3. Definitions: -

- (i) "Anaerobic digestion" means a controlled process that involves microbial division of organic matter in the absence of oxygen.
- (ii) "Authority" means the approval granted by the board or the committee to the "operator of the concession".
- (iii) "Bio Degradable Material" means a material that can be degraded by micro organisms.
- (iv) "Organic, methanization" means a process that uses enzyme dissolution of organic matter by microbial action to produce methane-rich bio gas.
- (v) "Collection" means picking up and removing solid waste from collection points and from some other place.
- (vi) "Making compost" means a controlled process that involves microbial degradation of organic matter.
- (vii) "Demolition and construction waste" means waste generated by construction material, macadam and rubble from construction, renovation, repairs and demolition operations.
- (viii) "Disposal" means final disposal of urban solid waste with the care necessary to protect ground water, surface water and environment air quality from pollution.
- (ix) "Format" means the formats annexed with these rules.

- (x) "Producers of waste" means persons or establishments producing urban solid waste.
- (xi) "Land selection" means disposal of residual solid waste while taking care to protect ground water and surface water from pollution and the dust and dirt in the air, stench, fire hazard, bird hazard, pests/rodents, green house gas emissions, slope instability and erosion.
- (xii) "Leachate" means a liquid that has seeped through solid waste or other medium and which has extracted soluble or suspended matter from it.
- (xiii) "Lysometer" means a device which is used to measure the movement of water in or through the medium of soil layer or which is used to collect the leached water for qualitative analyses.
- (xiv) "Municipal Corporation Authority" means the urban body, where urban solid waste management and handling is handed over to one such agency.
- (xv) "Urban solid waste" includes solid or semi-solid commercial and residential waste generated in urban/notified areas excluding industrial hazardous waste but including treated bio medical waste.
- (xvi) "Operator of concessions" means a person who owns or operates the concession for collection, sorting, storage, transportation, processing and disposal of urban solid waste and it also includes any other agency appointed by the municipal corporation authority for management and handling of urban solid waste in their respective areas.
- (xvii) "Pellet forming" means a process used to make pellets, which will be small cubes or cylindrical pieces from solid waste and will also include fuel pellets which is also specified as fuel obtained from garbage.
- (xviii)"Processing" means a process whereby waste material is turned into new or recycled products.
- (xix) "Recycling" means a process that turns sorted material into compost in order to produce new products that may or may not be similar to the original product.
- (xx) "Schedule" means the schedule annexed with these rules.
- (xxi) "Sorting" means separating organic, inorganic, recyclable and hazardous wastes into categories.
- (xxii) "State board or Committee" means, as applicable, the State Pollution Control Board of a state or the Pollution Control Committee of a Union Territory.
- (xxiii) "Storage" means binning urban solid waste temporarily in such a way as to prevent the garbage from spilling, attracting disease carriers and giving off bad smell.
- (xxiv)"Transportation" means transporting urban solid waste from one place to another in specially designed transportation system so that stench, garbage spilling and disease carrier access can be prevented.

- (xxv) "Vadose water" means the water situated between top soil and ground water level, i.e. in the unsaturated area.
- (xxvii)"Vermicompost" is the process of bio degradation of waste into fertilizer using earthworms.

4. Separation of urban solid waste: -

- (i) It will be compulsory for all the citizens to store the urban solid waste generated from their place separately into wet and dry garbage placed in suitable bins with lids, and they will have to ensure its disposal by paying the monthly charges for the door to door collection facility provided at fixed times once a day so that the dirt and garbage does not spill on the public roads after the municipal corporation has cleaned them, otherwise anti-littering carrying charges shall be levied. A repetition shall attract a case in the court as per the rules.
- (ii) The urban body will encourage the citizens from time to time. For this purpose, the municipal corporation shall be authorized to teach and encourage the local sanitation welfare associations, representatives of non government organizations, hygiene contractors of the municipal corporation and citizens to separate and store the garbage and to transport it properly.
- 5. **Storage of urban solid waste:** All the urban bodies of the state shall establish and maintain solid waste storage facilities at their own level or through authorized regional contractors in such a way that it doesn't create unhealthy/unhygienic atmosphere around them. The following criteria shall be adhered to while establishing and maintaining the storage facilities: -
 - (i) The storage facilities shall be created and established keeping in mind the amount of waste generated and the population density in the specified area, but there shall be a distance of minimum 500 meters between two storage facilities and there shall be not more than 05 storage facilities in a radius of 01 kilometer. The storage facility shall be in such a place with lidded mobile container where users can reach easily.
 - (ii) The storage facility provided by the municipal corporation/council/municipality or any other agency shall be designed in such a way that the collected garbage is not open to the atmosphere, is aesthetically acceptable to the users and should encourage them to place the garbage only inside the container.
 - (iii) In order to encourage separation at garbage bin points determined by municipal corporation/council/municipality, containers of different colors may also be places as follows -
 - (a) Green for bio degradable waste.
 - (b) White for recyclable waste.
 - (c) Black / Yellow / Blue for other general waste.

Carrier vehicles and compactors of easy operable designed shall be used for handling, removal and transportation of garbage / waste from these containers.

- (iv) It shall be the responsibility of all the cooperative societies, associations and residential and commercial establishments to place containers of their own, with design approved by the urban body, at suitable places of necessary density, so that the daily garbage collected there can be stored properly. They can make arrangement for contracting the vehicles at user charges with the urban body to empty the bins timely.
- (v) It shall be the responsibility of all the citizens to sell the recyclable waste produced in their areas to the rag pickers authorized by the urban body for working in their areas and not to throw them on the public roads or the garbage bins/containers of the urban body under any circumstances.
- (vi) Action will be taken by the municipal corporations/councils/municipalities of the state or by some other system (on the basis of guidelines of BOT/VGF/Swachh Bharat Mission) and all the institutions shall have to adopt it by paying the charges determined by the urban body, otherwise carrying charges shall be levied on the spot from those found spreading such solid waste, or case can be brought against them.
- (vii) The waste from butcheries, meat and fish markets, fruit and vegetables is of a bio degradable nature. This shall be managed in such a way that it can be utilized and that it does not spread any infectious diseases. To ensure this, the traders themselves will have to make their own arrangement and ensure proper disposal, or the urban bodies will have to ensure adherence by making door to door arrangement for collection, transportation and disposal of such waste, failing which, carrying charges shall be levied on the spot for spreading such waste, or case can be brought against them in court.
- (viii) Bio medical waste and industrial waste shall not be mixed with urban solid waste and the collection of such waste shall be made as per the rules specified separately for this purpose. Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is/will be implemented in various bodies for disposal of bio medical waste as per rules. Disposal of such hazardous waste will have to be ensured at the Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) plant at the prescribed charges.
- (ix) The waste collected from residential and other areas will be carried to the determined community garbage dump/closed containers by tricycle rickshaw and taken to the processing plant by auto tipper vehicles.
- (x) Waste/rubble generated by horticulture and construction/demolition activity shall be collected separately and be disposed of as per the appropriate standards. The urban body shall earmark one day in a week for this purpose and the horticulture waste must be compulsorily placed in the nearby determined garbage dump by noon of that day, so that it can be transported on time. The residual waste of private construction/demolition must be transported to the determined marked spot under own management or by paying the prescribed charges to the contractor authorized by the urban body. Throwing/keeping

such private rubble in open spaces, roads or at public places shall be punishable under the act and rules.

- (xi) The waste (garbage, dry leaves etc.) shall not be burned.
- (xii) Stray animals shall not be allowed to roam freely around waste dumps or at other places in the city and arrangement will have to be made for them at authorized area/place only.
- (xiii) No one will collect or throw waste water, muddy water, night soli, dung, excreta etc. from his/her building, institution or commercial establish in such a way that can pollute the atmosphere with its stench and may harm public health or may obstruct traffic, failing which, carrying charges shall be levied on the spot for spreading such waste, and case can be brought against them in court.
- (xiv) If a person is found spreading pollution or filth in public parks etc. by throwing dead cattle or parts, it will be a punishable offense and carrying charges shall also be levied.

6. Responsibility of urban bodies -

- (i) The urban administration shall ensure arrangements for cleaning daily and all the year at all the public roads, places, colonies, slums, areas, markets and tourism places, parks of the urban body, cremation grounds etc. and the urban body shall be committed to carry the garbage collected from these place to the nearest garbage bin/container and transport it every day from there to the final disposal place in closed vehicles, and the urban body shall be authorized to utilize its own permanent hygiene workers and vehicles in colonies where there are no hygiene works and also to utilize private contractors for full or partial daily cleaning work, so that the urban body is able to keep each area clean and beautiful in public interest.
- (ii) In order to manage the complete daily cleaning arrangement of the city, the urban body shall be free to establish a ward office (complaint center) in each ward, garbage bin/container at suitable places as required, public toilets/urinals, transfer stations to transport the community garbage bins to the landfill for final disposal, processing unit, etc.

The controlling of cleaning arrangement and solid waste management for the urban body shall be done under the prescribed provision, which shall be adopted by the concerned waste producer.

- 7. Collection of urban solid waste Spreading urban solid waste or garbage in the urban body area shall be prohibited. If any person is found to be spreading garbage at public places, roads, private open spaces, parks, sources of water etc., the authorized officer of the urban body, who shall be at least at the level of an inspector, shall be capable of charging carrying charges from the offender as per the attached "Schedule A"/as determined by the urban body from time to time. For this purpose, the urban body shall: -
 - (i) Implement "Svachhata Mitr Apke Dwar" scheme in all the regions/areas/wards of the corporation/council/municipality to collect garbage from every home in compliance with Urban Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000.

- (ii) A time will be fixed compulsorily in each area to collect garbage from each house. Usually, the time will be from 7.00 to 11.00 in the morning. But the urban body should ensure compliance with the timed fixed for special cleaning. A bell/horn (whose sound must not be over the permissible limit) should be fitted on the tricycle of the garbage collection worker so that the residents can be made aware of collection times.
- (iii) The time for garbage collection from commercial establishments/shops shall be from 9.00 to 12.00 in the morning in general.
- (iv) The rates for collecting garbage from home under Home Garbage Collection Scheme are fixed as follows: -

S. No.	Category of customer	Cooperation amount (from the customer) per month			
		Municipal	Municipal Council	Municipality	
		Corporation	Area/month	Area/month	
		Area/month			
1	Houses up to 50 sq. m. area	Rs. 20/-	Rs. 15/-	Rs. 10/-	
2	Houses over 50 sq. m. area up to	Rs. 80/-	Rs. 50/-	Rs. 40/-	
	300 sq. m.				
3	Houses with over 300 sq. m.	Rs. 150/-	Rs. 100/-	Rs. 50/-	
	area				
4	Commercial establishments,	Rs. 250/-	Rs. 200/-	Rs. 150/-	
	shops, eating places				
	(Dhaba/sweet shops/coffee				
	house etc)				
5	Guest House	Rs. 750/-	Rs. 500/-	Rs. 250/-	
6	Hostel	Rs. 500/-	Rs. 400/-	Rs. 250/-	
7	Hotel Restaurant (Unstar)	Rs. 750/-	Rs. 500/-	Rs. 300/-	
8	Hotel Restaurant (Up to 3 star)	Rs. 1500/-	Rs. 1000/-	Rs. 800/-	
9	Hotel Restaurant (over 3 star)	Rs. 3000/-	Rs. 2000/-	Rs. 1500/-	
10	Commercial offices, government	Rs. 700/-	Rs. 500/-	Rs. 250/-	
	offices, Bank, Insurance offices,				
	coaching classes, education				
	institutes etc.				
11	Clinic, dispensary, laboratories	Rs. 2000/-	Rs. 1500/-	Rs. 1000/-	
	(up to 50 beds)				
12	Clinic, dispensary, laboratories	Rs. 4000/-	Rs. 3000/-	Rs. 2500/-	
	(more than 50 beds)				
13	Small and cottage industry	Rs. 750/-	Rs. 500/-	Rs. 400/-	
	workshops (only non-				
	hazardous), waste 10 k.g. per				
	day				
14	Godowns, cold storages (only	Rs. 1500/-	Rs. 1000/-	Rs. 800/-	
	non-hazardous) waste				
15	Marriage halls, festival halls,	Rs. 2000/-	Rs. 1500/-	Rs. 1000/-	
	exhibition and fairs with area up				
	to 3000 sq. m.				
16	Marriage halls, festival halls,	Rs. 5000/-	Rs. 4000/-	Rs. 3000/-	
	exhibition and fairs with area				
	over 3000 sq. m.				
17	Other places not marked as	As assessed by the urban body			
	above				

The above rates will be increased by at least 10 percent every three years.

- (v) The charges for door to door garbage collection as above shall be collected only by the authorized institution/person of each ward/area. The above rates shall be properly advertised by the institution/person and the rates shall also be displayed on the rickshaw trolley and auto tipper. The authorized institution/person shall also write the name of the institution/person on the rickshaw trolley and auto tipper.
- (vi) The organisation/person in question is supposed to fill submit the duly filled form to the concerned officer or representative in the concerned municipality/municipal council/corporation.
- (vii) The slum areas and other empty spaces surrounding hotels/restaurants/office premises/and business and commerce centres, shall be used to collect waste materials. The bio degradable waste disposed by these establishments will be transported from the site, using an enclosed vehicle and will be transported using all the waste transport regulations at the disposal site.
- (viii) The waste materials from these containers are not supposed to be handled manually. But, due to some unprecedented circumstances, if the waste material has to be handled and lifted using the manual labour, in such circumstances manual labour would be used with all due care and precautions.
- (ix) If the waste material is not disposed by any person on the designated sites, waste bins, litter bins, containers kept on the road, by-passes and parks by the concerned municipal council/corporation and is disposed with the due knowledge by the person elsewhere where waste disposal is prohibited, in such circumstances, carrying charges can be levied by the concerned party.
- (x) Municipal authorities can also provide container free waste disposal facility, but in such cases the municipal authorities will have to increase and specify the frequency of lifting the garbage from the locality, so that the surrounding areas and roads are not littered.
- 8) Transport of the municipal solid waste: The vehicles used for the transport of solid waste are to be duly closed so that the waste should not be visible to the public and the waste is not scattered elsewhere on the road during transportation, the following standards should be maintained during the transportation of the solid waste.
 - (i) The solid waste would be collected and cleaned daily from the established waste collectors. Along with the waste, the surrounding area of the disposal site should also be kept clean.
 - (ii) The design of the transport vehicles will be such that the waste will not be touch until it reaches its final disposal site, and thus the recurring handling of the waste will not happen.
- 9) Recycling of the municipal solid waste To make the solid waste created in the areas of Municipal Corporation/ council useful, various solid waste disposal units approved by the pollution control board and different techniques of such solid waste should be applied so that

the dependency of waste disposal on the landfills can be minimised. Following standards should be applied for the expected results:-

- (i) For the immobilisation of the bio-degradable waste, various techniques used for degrading the bio waste such as vermicomposting technique, composting, can be used. Also the waste can be degraded using the other natural resources. This can be done using the BOT or OO method by obtaining the required licenses.
- (ii) For the waste material mixed with the renewable resources in the mixture format, the method of recycling should be used. In some cases the resources can be used to generate energy. Such plants with the new technology should be licensed by the pollution control board. The aforementioned plants can be established using the BOT or BOOT method and the licence can be obtained for the same.
- 10) Municipal Solid Waste Disposal: In the landfills, non-bio degradable waste which cannot be recycled by any method and the waste which cannot be used as a source of renewable energy should be disposed in the landfill sites. Such materials which are rendered useless after using a part of the same for recycling purposes will be used in landfill sites. In the unavoidable circumstances or, until alternative facilities are established there, the Municipal Corporation/Council/Municipality will be able to do landfill on landfill sites by following the given standards.
- **11) Prosecution and Penalties:** According to Administration of the solid waste disposal regulations, 2015 by the corporation body, any kind of disobeying and breaching of the said rules and regulations, prosecutions can be rendered according to the Rajasthan Municipal corporation act, 2009. According to the environment regulation act of 1986, some cases can be directed towards them. With this, under the CCA rules, such officers and workers found disobeying the rules will be subjected to the disciplinary actions. This action will be taken by the competent officer. The action will be taken if the said officer is rendered responsible for carrying out his duties irresponsibly.

12) Repeal and saving of Orders: -

(1) After these bylaws are taken into action, the Jaipur solid waste (management and handling) 2005, and also the same bylaws related to the same by other municipal corporations/councils are to be considered as void.

(2) Before these bylaws are taken into action, any actions taken according to the previous bylaws will not be considered as void, due to these bylaws coming into effect, provided that such actions do not violate the bylaws.

(3) Such repealment shall not be affecting on any action taken by the municipal corporation before these bylaws.

Such repealment will not affect anything or any action taken, or any acquired or incorporated rights, privilege, obligation or responsibility, approved sanction on going or completed investigation or pending action.

<u>"Schedule – A"</u>

S. No.	Act	Municipal Corporation	Nagar Parishad	Municipal Council
1.	Public in residential complexes	Rs. 100/- per day	Rs. 75/- per day	Rs. 50/- per day
2.	Waste disposal by shop owners	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day	Rs. 250/- per day
3.	Waste disposal in open areas by restaurant owners	Rs. 2000/- per day	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day
4.	Waste disposal in open areas by hotel owners	Rs. 2000/- per day	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day
5.	Waste disposal by industrial establishments	Rs. 5000/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1500/- per day
6.	Sweet seller, chat seller, Pakode, fast food centres, ice-cream stalls, sugarcane centres, vegetable and fruit centres, (All in carts)	Rs. 100/- per day	Rs. 75/- per day	Rs. 50/- per day
7.	Peeing in Public places	Rs. 200/- per day	Rs. 100/- per day	Rs. 50/- per day
8.	Disposal of cow dung in public places	Rs. 5000/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1500/- per day
9.	Disposal of construction waste created while construction of houses, shops, on government owned land	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day	Rs. 250/- per day
10.	If the concrete, garbage, debris, dung is scattered by a personally owned tractor while transporting that waste material	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day	Rs. 250/- per day
11.	Applying posters, writing on walls, diminishing beauty of historically significant monuments, Governmental buildings, public squares, the owner of such wrongdoers association shall be levied the fine per act.	Rs. 2000/- per day	Rs. 1500/- per day	Rs. 1000/- per day
12.	Construction of road cut without authorisation	Rs. 5000/- per feet	Rs. 2500/- per feet	Rs. 1500/- per feet
13.	Disposal of waste water from personally owned property on a public road	Rs. 5000/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1500/- per day
14.	Disposal of the sewerage in the main drainage line without taking the proper sewerage connection	Rs. 5000/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1500/- per day
15.	From occupation 02 to 06, the businessman if did not keep the disposal bin of the required capacity at his business place	Rs. 2000/- per day	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day
16.	Throwing mud or water and oil on by the Shopkeeper or lorry man when repairing bicycle or scooter roadside	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day	Rs. 250/- per day
17.	In front of the butcher's shop if the shopkeeper throws blood, bones, feathers, skin, egg shells and the other remains of the dead animal	Rs. 2000/- per day	Rs. 1500/- per day	Rs. 1000/- per day

Carrying charges to be levied in case of violation of the bylaws

	and spreading garbage in the public place			
18.	If the main road, small road, or in front of the house, if any domestic animal like cow, buffalo, goat, dog, sheep, camel, donkey, horse, pig creates garbage	Rs. 500/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1000/- per day
19.	Throwing garbage at the wedding/ reception sites	Rs. 5000/- per day	Rs. 2500/- per day	Rs. 1000/- per day
20.	If meat or fish is cooked in an illegal roadside tent and the waste is thrown on the public road	Rs. 2000/- per day	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day
21.	Selling vegetables on public places, open grounds, on the road side and throwing waste material on the road and creating garbage	Rs. 100/- per day	Rs. 75/- per day	Rs. 50/- per day
22.	If the owner of a hair cutting salon throws hair or other waste material on the road	Rs. 100/- per day	Rs. 75/- per day	Rs. 50/- per day
23.	Shopkeepers and businessmen, if encroaches on the government land or on the open spaces in front of the shops	Rs. 5000/- per day Action will be taken if bylaws will violated continuously.	Rs. 2500/- per day	Rs. 1500/- per day
24.	To organise public feasts and to set up eateries on the main roads and other public places	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day	Rs. 250/- per day
25.	Littering road, public pathway, Footpath etc by private hospitals, nursing homes, clinic, medical store etc	Rs. 2000/- per day	Rs. 1000/- per day	Rs. 500/- per day

- 1. Carrying charges for the public of residential complexes, Rs. 100/- per day.
- 2. Carrying charges for the shopkeepers for littering on the public roads, Rs. 250/- per day.
- 3. Open littering on the road by restaurant owners would be charged Rs. 400/- per day as a part of the carrying charge.
- 4. Waste disposal in open areas by hotel owners would be charged Rs. 400/- per day as carrying charge.
- 5. Waste disposal by industrial establishments will be charged Rs. 1000/- per day as a carrying charge.
- 6. Sweet seller, chat seller, Pakode, fast food centres, ice-cream stalls, sugarcane centres, vegetable and fruit centres, (All in carts) will be charged Rs. 100/- per day as carrying charge.
- 7. Peeing in Public places, Rs. 200/- per occurrence as a carrying and cleaning charge.
- 8. Disposal of cow dung in public places, will be charged Rs. 500/- per day as carrying charge.
- 9. Disposal of construction waste created while construction of houses, shops, on government owned land, would be charged Rs. 200/- per day as a part of the carrying charge.
- 10. If the garbage is scattered by a personally owned tractor while transporting that waste material, 1000 Rs. per day will be charged as carrying charge.

- 11. Applying posters, writing on walls, diminishing beauty of historically significant monuments, Governmental buildings, public squares, the owner of such wrongdoers association shall be levied the fine per act. Rs. 1500/- per day as a carrying charge.
- 12. Construction of road cut without authorisation, Rs. 1500/- per day.
- 13. Disposal of waste water from personally owned property on a public road, Rs. 100/- per day.
- 14. Disposal of the sewerage in the main line without taking the proper sewerage connection, Rs. 500/- per day.
- 15. From occupation 02 to 06 mentioned in the list above, the owners if did not keep the disposal bin of the required capacity, Rs. 500/- per day.
- 16. 100 Rs. Per day on throwing mud or water and oil on by the Shopkeeper or lorry man when repairing bicycle or scooter roadside.
- 17. In front of the butcher's shop if the shopkeeper throws blood, bones, feathers, skin, egg shells and the other remains of the dead animal and spreading garbage in the public place, Rs. 1000/- per day.
- 18. If the main road, small road, or in front of the house, if any domestic animal like cow, buffalo, goat, sheep, dog, camel, donkey, horse, pig creates garbage. Rs. 200/- per day.
- 19. Throwing garbage at the wedding/ reception sites, Rs. 1000/- per day.
- 20. If meat or fish is cooked in an illegal roadside tent and the waste is thrown on the public road, Rs. 1000/- per day.
- 21. Selling vegetables on public places, open grounds, on the road side and throwing waste material on the road and creating garbage, Rs. 100/- per day.
- 22. If the owner of a hair cutting salon throws hair or other waste material on the road, Rs. 100/- per day.
- 23. Shopkeepers and businessmen, if encroaches on the public pathway, road, footpath, government land or on the open spaces in front of the shops, Rs. 2500/- per day.
- 24. To organise public feasts and to set up eateries on the main roads and other public places, Rs. 100/- per day.
- 25. private hospitals, nursing homes, clinic, medical store etc. Litter on the road, public pathway, Footpath etc. Rs. 500/- per day will be charged as a carrying charge.

By Order of the Governor,

Sd/-

(Purushottam Biyani)

Joint government Secretary

No. F551 () **DLB /15/** 6626-7076

Receipt of the same for information and implementation: -

- 1. Personal secretary, principal government secretary, Chief Minister's office, Rajasthan.
- 2. Personal secretary, respected minister, Urban development and Local Self-government, Rajasthan.

Seal

- 3. Personal secretary, additional principal secretary, Urban development and housing, Rajasthan.
- 4. Personal secretary, principal government secretary, Ministery of Local Self-Government, Rajasthan.
- 5. Mayor/ chairperson, speaker/ chairman, entire municipal areas, municipal councils and Municipal corporations, in Rajasthan.
- 6. Personal secretary, joint governmental secretary, Urban development and housing ministery, Government of Rajasthan.
- 7. Divisional collector, Rajasthan.
- 8. District collector, (All), Rajasthan.
- 9. Scheme director, RUIDP.
- 10. Executive director, RFDC, Rajasthan.
- 11. It is duly sent and requested to the governmental press in Rajasthan that the order mentioned above is for utmost important as far the public is concerned, it is for the public good, this charter should be published in the government gazette and at least 50 copies of the same should be made available at any given time for the general public.
- 12. Principal executive officer/ commissioner/ designated officer of Municipal areas, municipal councils and municipal corporations of entire Rajasthan.
- 13. Entire officials of the Directorate.
- 14. Divisional sub director (all) local corporation bodies in Rajasthan.
- 15. Confidential correspondence.

Sd/-

Ashok Kumar Singh,

(Principal Joint legal advisor)



खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकना अब बहुत भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों से 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का अर्थदंड वसूले। 30 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी।

नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है। सभी मुख्य सचिवों से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक हर शहर में कम से कम एक अर्थ दंड लगाने को कहा है। राज्यों के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में सावर्जनिक शौचालय और कचरा एकत्रित करने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सख्ज समय सीमा निर्धारित की है। राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हों, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा हों और वॉर्ड्स में सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन हों। स्वच्छता विशेषज्ञों का

राज्यों को निर्देश, ३० अप्रैल से यह त्यवस्था लागू होगी सार्वजनिक शौचालयों की श्रुखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक, आदर्श रूप से तो सरकार को जुमाना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई हैं कि कहीं न कहीं से

एक शुरुआत की जाने की जरूरत है। मंत्रालय

के केंद्रीय सावंजनिक स्वास्थ्य और पयोवरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, शहरों में हर एक किलोमीटर की सड़क पर एक टॉयलेट होना चाहिए और इन सुविधाओं की एक समान संख्या महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होनी चाहिए। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक लेकिन इन मानदंडों का शायद ही पालन हुआ है। किसी मेट्रो शहर में सार्वजनिक शौचालय के लिए आपको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। विसी मंहिताओं के शौचालय तो बमुश्किल मिलते हैं। पिछले साल से, राजस्थान में गलत जगह कूड़ा-करकट फेंकने प्रर जुर्माना लगाया जा रहा है।







शौच जाना अब लोगों को भा पड़ सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐ लोगों पर अर्थदंड लगाया जाप केंद्र सरकार के अनुसार खुले शौच, पेशाब या फिर कचरा फेंक वाले लोगों पर 200 से 500 तक का जुर्माना लगाया जाए। य व्यवस्था 30 अप्रेल से लागू होग स्वच्छ भारत अभियान का अच प्रभाव न मिलने के बाद यह सख बरती जा रही है।

एक वार्ड में हो लागू

शहरी विकास मंत्रालय ने स मुख्य सचिवों को कहा है कि 3 अप्रेल तक हर शहर के कम कम एक वार्ड में यह व्यवस लागू हो और 30 सितंबर 201 तक सभी शहरों के सभी वार्डो दोषियों पर जुर्माना लगाया जाप राज्यों से यह भी कहा गया है इस दबात को सुनिश्चित कि जाए कि हर जगह पर सार्वजनि शौचालय हों, डोर टू डोर कच लेने की सुविधा और पर्या संख्या में कचरा पात्र हों।

राजस्थान रोल मॉडल

केंद्र सरकार ने राजस्थान में कच को लेकर पिछले वर्ष लागू किर गया जुर्माना रोल मॉडल के तें पर लिया है। गौरतलब है वि राजस्थान सरकार ने गलत जग कचरा फेंकने पर जुर्माना लगार था। जिसमें सार्वजनिक स्थान प पेशाब करने पर 200, गाय व गोबर का गलत डिस्पोजल कर पर 5000 और रेस्टोरेंट व कचरा खुले में फैंकने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया था।

खुले में शौच, तो देने होंगे 5000 30 अप्रेल से लागू

नई दिल्ली @ पत्रिका . खुले में शौच जाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर अर्थदंड लगाया जाए। केंद्र के अनुसार खुले में शौच, पेशाब या फिर कचरा फेंकने वाले लोगों पर 200 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाए। यह व्यवस्था 30 अप्रेल से लागू होगी। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को कहा है कि 30 अप्रेल तक हर शहर के कम से कम एक वार्ड में यह व्यवस्था लागू हो और 30 सितंबर 2018 तक सभी शहरों के सभी वार्डों में दोषियों पर जुर्माना लगाया जाए। केंद्र सरकार ने राजस्थान में कचरे को लेकर पिछले वर्ष लागू किया गया जुर्माना रोल मॉडल के तौर पर लिया है। राजस्थान सरकार ने गलत जगह कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया था।

patrika Sun, 27 March



COLLEGE CISORA (http://www.navodayatimes.in)

Menu

अब खुले में शौच करना पड़ेगा महंगा, लगेगा 5 हजार का जुर्माना

देश (http://www.navodayatimes.in/khabre/national)

राजनीति (http://www.navodayatimes.in/khabre/politics)

2016/03/26 05:39:58 PM



नई दिल्ली (टीम डिजिटल): हमारे देश में हमेशा ही देखी जाता है लोग खुले में कहीं पर सड़क पर पेशाब कर देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। इसको लेकर कानून भी बनाया गया है लेकिन अब इस तरह की अशोभनीय चीजों के प्रति सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।

खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकना अब बहुत भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों से 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का अर्थ दंड वसूले। 30 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी।

पागलखानों में 1 ही बाथरूम में जाती हैं 150 महिलाएं (http://www.navodayatimes.in/news/top-news/womenin-mental-asylums-lives-in-inhuman-conditions-report/1697/)

नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है। सभी मुख्य सचिवों से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक हर शहर में कम से कम एक वार्ड में और 30 सितंबर, 2018 तक सभी शहरों के सारी जगहों में दोषियों पर अर्थ दंड लगाने को कहा है।

राज्यों के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में सावर्जनिक शौचालय और कचरा एकत्रित करने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की है। राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हों। स्वच्छता विशेषज्ञों का कहना है कि जुर्माने के पहले स्वच्छता सुविधाओं की



खुले में शौच या कूड़ा-करकट फेंकने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना

Published: Sat, 26 Mar 2016 02:47 PM (IST) | Updated: Sat, 26 Mar 2016 03:10 PM (IST) By: Editorial Team

नई दिल्ली। खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकना अब बहुत भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों से 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का अर्थदंड वसूले। 30 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी।

नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है। सभी मुख्य सचिवों से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक हर शहर में कम से कम एक वार्ड में और 30 सितंबर, 2018 तक सभी शहरों के सारे वॉर्ड्स में दोषियों पर अर्थ दंड लगाने को कहा है।

राज्यों के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में सावर्जनिक शौचालय और कचरा एकत्रित करने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की है। राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हों, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा हों और वॉईस में सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन हों।

स्वच्छता विशेषज्ञों का कहना है कि जुर्माने के पहले स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक, 'आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत की जाने की जरूरत है।'

मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, शहरों में हर एक किलोमीटर की सड़क पर एक टॉयलेट होना चाहिए और इन सुविधाओं की एक समान संख्या महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होनी चाहिए।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक ' लेकिन इन मानदंडों का शायद ही पालन हुआ है। किसी मेट्रो शहर में सार्वजनिक शौचालय के लिए आपको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। वहीं महिलाओं के शौचालय तो बमुश्किल मिलते हैं।'

पिछले साल से, राजस्थान में गलत जगह कूड़ा-करकट फेंकने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 200 रूपए और गाय का गोबर गलत तरीके से डिस्पोज करने पर 5000 रुपए, खुले में रेस्टोरेंट का कचरा फेंकने पर 2000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। मंत्रालय राजस्थान मॉडल का राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करना चाहती है।

- See more at: <u>http://naidunia.jagran.com/national-soon-littering-or-peeing-in-public-may-invite-a-fine-of-rs5000-696002#sthash.u8IBMwTv.dpuf</u>



खुले में कूड़ा फेंकने और शौच पर लगेगा 5000 जुर्माना

March 27, 2016 10:57 AM



नई दिल्ली - अब खुले में शौच करने, पेशाब करने और कूड़ा फेकने से पहले एक बार सोच लें क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसा करने वालों से 200 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना वसूले। यह व्यवस्था 30 अप्रैल से अमल में लाई जायेगी।

प्रधानमंत्री ने जिस चाव के साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरु किया था, उसे शहरों में मनचाहा प्रभाव नहीं मिला, इसलिए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि 30 अप्रैल तक हर शहर के कम से कम एक वार्ड और 30 सितंबर 2018 तक सभी वार्डो में दोषियों से जुर्माना वसूला जाए। इससे पहले राज्यों से कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में पब्लिक टॉयलेट और कचरा एकत्रित करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए।

डोर-टू-डोर गार्बेजद कलेक्शन और वार्डस में सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन रखने की व्यवस्था हो। सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत की जाने की जरूरत है। मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ व पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के अनुसार, शहरों में हर एक किमी पर एक टॉयलेट होनी चाहिए और इसकी समान संख्या पुरुष व महिला दोनों के लिए होनी चाहिए।



अब खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी में सरकार



article Wednesday, March 30, 2016-1:34 AM

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्तूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 'स्वच्छ भारत अभियान' शुरू किया था, उस समय लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह था परंतु सिवाय दक्षिण भारत के चंद राज्यों के, देश के अन्य सभी भागों में यह उत्साह लगातार घटता चला गया।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। 'स्वच्छ भारत अभियान' का एक उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना भी है परंतु यह अभी पूरा नहीं हुआ और अपवाद स्वरूप कुछ ही राज्यों में इसका थोड़ा-बहुत प्रभाव दिखाई दे रहा है। हां, लोगों को खुले में शौच से हतोत्साहित करने के लिए कुछ अनोखे प्रयोग अवश्य किए जा रहे हैं।

उदाहरणत: महाराष्ट के 'पालघर' की नगर परिषद खुले में शौच करने वालों को गुलाब का फूल देकर शॄमदा कर रही है तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के 'रीवा' जिले के प्रशासन ने तो खुले में शौच करने वालों का चित्र व्हट्सएप पर भेजने वालों को 100 रुपया ईनाम देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के पंचायत और सहकारिता मंत्री गोपाल भार्गव तो 'स्वच्छ भारत अभियान' को सिरे चढ़ाने के उत्साह में यह बयान देकर आलोचना के पात्र ही बन गए कि ''जो कोई भी खुले में शौच करता पाया जाएगा उसका राशन कार्ड और बंदूक का लाइसैंस रद्द कर दिया जाएगा।'' गत वर्ष से राजस्थान सरकार ने खुले में शौच करने, गोबर आदि गलत ढंग से ठिकाने लगाने व रेस्तरांओं द्वारा अपनी बची जूठन एवं अन्य चीजों का गलत ढंग से निपटारा करने पर 200 से 5000 रुपए तक का जुर्माना तय कर रखा है। केंद्र सरकार यह नियम पूरे देश में लागू करना चाहती है।

इसीलिए अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में आदेश दिया है कि वे खुले में शौच और पेशाब करने वालों पर 30 अप्रैल से जुर्माना लगाना शुरू कर दें।

इसके अनुसार अब खुले में शौच करने वालों पर 200 से 5000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि 30 अप्रैल तक प्रत्येक शहर के कम से कम एक वार्ड में, वर्ष के अंत तक 10-15 शहरों के सभी वार्डों में और 30 सितम्बर 2018 तक सभी शहरों के सभी वार्डों में खुले में शौच व पेशाब करने के बदले में जुर्माना तय कर देना वांछित है।

इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों में पर्याप्त संख्या में शौचालयों के निर्माण तथा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा है कि जहां लोगों पर जुर्माना ठोका जाए उन वार्डों में सार्वजनिक शौचालयों और घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ विभिन्न वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ादान लगाना सुनिश्चित किया जाए।

वैसे स्वच्छता विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जुर्माना लगाने की व्यवस्था करने से पूर्व लोगों के लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध करवा दी जातीं तो अच्छा होता। हालांकि केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन ने पहले ही शहरों में प्रत्येक किलोमीटर पर पुरुषों तथा महिलाओं के लिए एक-एक शौचालय का नियम तय कर रखा है परंतु शायद ही किसी शहर में इस नियम का पालन किया गया हो। बड़े शहरों में सार्वजनिक शौचालय की तलाश में कई-कई किलोमीटर चलना पड़ता है। महिलाओं के लिए तो शौचालय और भी कम हैं।

नि:संदेह केंद्र सरकार द्वारा खुले में शौच करने वालों को दंडित करने का सुझाव अच्छा है परंतु इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार को सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की ओर ध्यान देने तथा अधिक से अधिक एक-एक किलोमीटर पर शौचालय बनवाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि जब शौचालय ही नहीं होंगे तो आखिर लोग इसके लिए कहां जाएंगे?

इन शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित बनाने के लिए एक निश्चित वेतन पर कर्मचारी भी तैनात किए जाएं और शौचालय का प्रयोग करने वालों से एक या दो रुपए सेवा शुल्क वसूल किया जा सकता है। ऐसा करके ही नरेंद्र मोदी का 'स्वच्छ भारत' का सपना साकार हो सकेगा। जब तक सरकार सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था नहीं करेगी तब तक खुले में शौच करने पर जुर्माना लगाना सरासर अनुचित होगा।

Edited by:vijay kumar

English (http://english.newstracklive.com)

&+ (https://plus.google.com/+Newstracklive1)
A (http://www.newstracklive.com/rssfeed/)

f (https://www.facebook.com/newstracklive) 🍯 (https://twitter.com/newstracklive) 🛗 (https://www.youtube.com/user/NewsTrackLive)



(http://www.newstracklive.com/)



क्रिकेट (http://www.newstracklive.com/sports/cricket/)

I (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/india/) राजनीति (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/politics/) विश्व (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/world/) प्रदेश (http://www.newstracklive.com/state/) क्राइम ट्रैक (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/crime-track/) बॉलीवुड (http://www.newstracklive.com/entertainment/bollywood/) इंटरनेट (http://www.newstracklive.com/technology/internet/) नौकरी (http://www.newstracklive.com/career/jobs/) जरा हट के (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/just-special/) योन जीवन (http://www.newstracklive.com/fitness/yon-jeeven/) Exclusive Photos (http://www.newstracklive.com/photos-gallery/) 18 Plus (http://www.newstracklive.com/photos-gallery/18-Plus/)

रिलेशनशिप (http://www.newstracklive.com/lifestyle/relationship/)

Latest Videos (http://video.newstracklive.com/)

खुले में कूड़ा फेंकने और शौच पर लगेगा 5000 जुर्माना

ताजा खबर (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/) देश (http://www.newstracklive.com/taja-khabar/india/) News Track Network Publish date : Mar 26,

2016 07:00PM IST



नई दिल्ली: अब खुले में शौच करने, पेशाब करने और कूड़ा फेकने से पहले एक बार सोच लें क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसा करने वालों से 200 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना वसूले। यह व्यवस्था 30 अप्रैल से अमल में लाई जायेगी।

प्रधानमंत्री ने जिस चाव के साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरु किया था, उसे शहरों में मनचाहा प्रभाव नहीं मिला, इसलिए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि 30 अप्रैल तक हर शहर के कम से कम एक वार्ड और 30 सितंबर 2018 तक सभी वार्डो में दोषियों से जुर्माना वसूला जाए।

इससे पहले राज्यों से कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में पब्लिक टॉयलेट और कचरा एकत्रित करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। डोर-टू-डोर गार्बेजद कलेक्शन और वार्डस में सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन रखने की व्यवस्था हो। सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक

शुरुआत की जाने की जरूरत है। मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ व पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के अनुसार, शहरों में हर एक किमी पर एक टॉयलेट होनी चाहिए और इसकी समान संख्या पुरुष व महिला दोनों के लिए होनी चाहिए।

बीते वर्ष से राजस्थान में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-करकट फेंकने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 200 रूपए और गाय का गोबर गलत तरीके से डिस्पोस पर 5000 रुपए, खुले में रेस्टोरेंट का कचरा फेंकने पर 2000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। इसी मॉयल को मंत्रालय देशव्यापी रूप से लागू करना चाहती है।

Shari

< 4

Tags : New Delhi (http://www.newstracklive.com/topics/new-delhi/) Central government (http://www.newstracklive.com/topics/central-government/) Open defecation (http://www.newstracklive.com/topics/open-defecation/) Clean India Campaign (http://www.newstracklive.com/topics/clean-india-campaign/) 5000 fines (http://www.newstracklive.com/topics/5000-fines/) garbage and dump (http://www.newstracklive.com/topics/garbage-and-dump/)

फीचर्ड न्यूज Assembly Election Special

- क्या कारण था कि, अक्षत को बेचनी पड़ी ओड-इवन वेबसाइट ? (http://www.newstracklive.com/news/Akshat-mittal-sold-his-odd-even-website-1046760-1.html)
- लो...आ गया हे जडेजा कि शादी का इनविटेशन कार्ड ! (http://www.newstracklive.com/news/Ravindra-jadeja-wedding-on-april-17th-1046745-1.html)

http://www.newstracklive.com/news/5000-fines-will-open-defecation-in-the-garbage-and-dump-Clean-India-Campaign--1044811-1.html



खुले में शौच या कूड़ा कचरा फेंकने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना के लिए तैयार रहें

Posted by <u>admin</u> Date: March 26, 2016 in: <u>खबरें, दिल्ली, समाचार</u>

CRIME 7 NEWS NEW DELHI : खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकना अब बहुत भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लोगों से 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का अर्थदंड वसूले। 30 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होगी।

नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है। सभी मुख्य सचिवों से बातचीत में शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अप्रैल तक हर शहर में कम से कम एक वार्ड में और 30 सितंबर, 2018 तक सभी शहरों के सारे वॉर्ड्स में दोषियों पर अर्थ दंड लगाने को कहा है।



राज्यों के लिए मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में सावर्जनिक शौचालय और कचरा एकत्रित करने की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की है। राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय हों, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा हों और वॉर्ड्स में सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त डस्टबिन हों।

स्वच्छता विशेषज्ञों का कहना है कि जुर्माने के पहले स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक, 'आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत की जाने की जरूरत है।'


मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, शहरों में हर एक किलोमीटर की सड़क पर एक टॉयलेट होना चाहिए और इन सुविधाओं की एक समान संख्या महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए होनी चाहिए।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक ' लेकिन इन मानदंडों का शायद ही पालन हुआ है। किसी मेट्रो शहर में सार्वजनिक शौचालय के लिए आपको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। वहीं महिलाओं के शौचालय तो बमुश्किल मिलते हैं।' पिछले साल से, राजस्थान में गलत जगह कूड़ा-करकट फेंकने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने पर 200 रूपए और गाय का गोबर गलत तरीके से डिस्पोज करने पर 5000 रुपए, खुले में रेस्टोरेंट का कचरा फेंकने पर 2000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। मंत्रालय राजस्थान मॉडल का राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करना चाहती है

खुले में कूड़ा फेंकने और शौच पर लगेगा 5000 जुर्माना

March 27, 2016 10:57 AM

http://iaomara.com/news/nrint.asny?ac=3228



नई दिल्ली - अब खुले में शौच करने, पेशाब करने और कूड़ा फेकने से पहले एक बार सोच लें क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि ऐसा करने वालों से 200 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना वसूले। यह व्यवस्था 30 अप्रैल से अमल में लाई जायेगी।

प्रधानमंत्री ने जिस चाव के साथ स्वच्छ भारत अभियान शुरु किया था, उसे शहरों में मनचाहा प्रभाव नहीं मिला, इसलिए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि 30 अप्रैल तक हर शहर के कम से कम एक वार्ड और 30 सितंबर 2018 तक सभी वार्डी में दोषियों से जुर्माना वसूला जाए। इससे पहले राज्यों से कहा गया है कि

पर्याप्त संख्या में पब्लिक टॉयलेट और कचरा एकत्रित करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए। डोर-टू-डोर गार्बेजद कलेक्शन और वार्डस में सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन रखने की व्यवस्था हो। सार्वजनिक शौचालयों की श्रृंखला सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदवेश्वर पाठक के मुताबिक आदर्श रूप से तो सरकार को जुर्माना लगाने से पहले पर्याप्त शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। खुले में शौच की समस्या हमारे शहरों में व्यापक हो गई है कि कहीं न कहीं से एक शुरुआत की जाने की जरूरत है। मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ व पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के अनुसार, शहरों में हर एक किमी पर एक टॉयलेट होनी चाहिए और इसकी समान संख्या पुरुष व महिला दोनों के लिए होनी चाहिए।

dainikbhaskar.com

जैन समाज की मांग पर क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्या सिंधिया ने कहा - केंद्रीय मंत्री को लिखेंगे पत्र

ले में शौच' कानून से साधु-संतों को मिले छूट

भास्कर संवाददाता शिवपरी

'खले में शौच' वाले कानून में जैन साध-संतों को छट मिलनी चाहिए। जैन संत खले और सखे स्थान पर ही शौच क्रिया करते है। अतः जैन सन्तों को इस कानून से मुक्त रखना चाहिए ताकि वह अपने मूल गुणों का पालन नियमानुसार कर सके। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस आशय का एक ज्ञापन जैन समाज द्वारा रविवार शाम सौपा गया। जिस पर सिंधिया ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने का आश्वासन जैन समाज को दिया।

DON'T MISS



गवार:कुंभ राशि में चंद्रमा,कुछ लोग ले सकते हैं गलन फैसले



जैन समाज द्वारा ज्ञापन देने के बाद मंच से अपनी बात रखते सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया।

जैन साधु-संतों के लिए छूट का प्रावधान हो

गाजर न करने से

गाजर में 36 मिग्र

"हडि़डयों और दांतों को मजबूत

बनाएगा संतरा.खाएं ऐसे ही 10 फड"

स्वच्छता अभियान के तहत सरकार बहुत अच्छा कानून लाई है लेकिन इस कानून में जैन साधु-संतों के लिये छूट का प्रावधान होना चाहिए तांकि वह अपनी चर्या का सही रूप में पालन

कर सके। - देवेंद्र जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन

ाफर ने दिखाई खानाबदोश

टाइब की LIFE.खाती है बंदर का

भारत सरकार ने लगाया है प्रतिबंध

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकने पर २०० रुपए से लेकर ५०००रुपए तक अर्थदंड क्सल किये जाने के निर्देश जारी किये है और इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों ने, 27 मार्च 2016 को ''खुले में शौच या गंदगी पर 5 हजार तक जुर्माना'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किए थे। जो यदि लागू होता है तो इससे जैन सन्तों को अपनी दैनिक चर्या निर्वहन करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। जैन शास्त्रों में वर्णित मान्यता के अनुसार जैन सन्तों द्वारा खुले व सूखे रथानाँ पर ही शौच क्रिया प्रतिदिन की जाती है ऐसे में यदि जैन सन्तों पर भी यह कानून लागू हुआ तो बिश्चित रूप से जैन सन्तों पर संकट आ जायेगा। अतः इस कानून के समर्थन में जैन समाज तो है परुतु साधु-सन्तों के लिये वह इस कानून में छट चाहते है।

ने स्वच्छता अभियान के लिए हाल ही

में राज्य सरकारों के मख्य सचिवों को आदेश दिया है। इसमें 30 अप्रैल से

खुले में शौच, प्रेशाब एवं गंदगी फैलाने

बालों पर 200 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। इस आदेश में आंशिक

संशोधन कर जैन साध व संतों को खुले

में शौच करने छूट देने की मांग की है। साथ ही हृदय रोग निदान शिविर

अपोलो अस्पताल इंदौर के सहयोग

से लगाया तय किया गया। संचालन

विकास कुमार जैन ने किया। आभार

रूपेश कुमार चौधरी ने माना। बैठक में

जैन मिलन के पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार

जैन, वीरेंद्र कुमार रावत, रमेश कठारी,

रमेशचंद जैन, पूर्व पार्षद सुभाष चंद

चौधरी, सुरेश चंद जैन, विनय कुमार

जैन, आकाश जैन, संजय कुमार जैन

एडवोकेट, मनीष जैन आमल्यां, राजा

जैन, राज कुमार जैन, दिलीप कुमार जैन, संजय जैन, अशोक कुमार जैन,

जितेंद्र जैन, मुकेश जैन और दीपक जैन

सहित अन्य मौजद थे।

लोगों ने बाबा रामदेव को बताय

तालिबानी, Twitter पर वायरल हई

यह बोले सांसद सिंधिया

"सिर्फ दसवीं तक ही पढ़ी थीं प्रत्यूषा,

देखिए बचपन से अब तक की

डस आशय का झापन जब गना-शिवपरी लोक सभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैन समाज द्वारा दिया गया तो सिंधिया ने कहा कि उन्हें पूर्व में किसी ने इस विषय से अवगत कराया था और इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावडेकर से बातचीत की थी चूंकि अब एक बार फिर से जैन समाज ने ज्ञापन सौपा है और शहरी विकास,आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखने की वात कही है और इस संबंध में दिल्ली पहुंचकर ही उन्हें लिखंगा।



Behind the scenes: 15 PHOTOS में देखें कैसे होती है

4/5/2016 9:16 PI

मई माह में हृदय रोग निदान शिविर लगाएगा जैन मिलन

भारतीय जैन मिलन और यवा जैन मिलन की मासिक र्बेठक में लिया गया फैसला

भास्कर संवाददाता | राघौगढ

जैन मिलन राघौगढ द्वारा आगामी मई माह में कस्बे में हृदय रोग निदान शिविर आयोजित किया जाएगा। यह फैसला जैन मिलन व युवा जैन मिलन ने मासिक बैठक में लिया है। गणेश मंदिर धीरपुर पर्यटन स्थल पर रविवार को हुई बैठक में जैन साधु व संतों को खुले में शौच करने की सुविधा देने की मांग के लिए ठहराव पारित कर उठाई है। मुख्य अतिथि विजय कुमार जैन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विशेष अतिथि शौतल चंद कठारी राष्ट्रीय संयोजक, अशोक भारिल्ल राष्ट्रीय संयोजक थे। अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष विनय जैन ने की। अतिथियों का स्वागत मंत्री डी के जैन ने किया। इसमें मुख्य अतिथि श्री जैन ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय



1 of 1

स न्यूज

सरकार को

। की दरकार

पानी व्यापमं के घपले और घोटाले

देश सरकार की नींद उड़ा रखी है.

प्रदेश को देश का सिरमौर बनाने

खी है। हत्या, बलात्कार और लुट

ाथ मासूमों का अपहरण, उनकी

र भ्रूण हत्याओं ने प्रदेश को कहीं

गरोप किसी राजनीतिक दल या

ां लगाया है बल्कि नेशनल क्राइम

में जारी आंकडों ने इस बात का

खुलासा हुआ है कि कन्या भ्रण

। नंबर चन राज्य बन गया है। खास

जबकि प्रदेश की शिवराज सरकार

कीय

विचार ® मंथन

खुले में शौच की जैन सन्तों को छूट आवश्यक !

विजय कुमार जैन

भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार ने जोर शोर से स्वच्छ भारत अभिवान चलावा है। भारतवर्ष को साफ सुधरा राष्ट्र बनाने सरकार द्वारा चलाया गया अभिवान स्वागत योग्व है। रवच्छता अभिवान जन समर्थन से ही चलाना चाहिये। ज्ञात हुआ है भारत सरकार खुले में सोच एवं गंदगी करने को लघु अपराध घोषित कर रही है।

ंसमाचारों से जात हुआ है कि केन्द्र सरकार ''रखच्छ भारत अभियान' को कानूनी अधिकार देने हेतु संसद में एक विधेयक लाकर ''खुले में गौच करने कचरा फेकने इलेक्ट्रानिक कचरा काटने सार्वजातिक स्थानों को गंदा करने और प्लास्टिक थेलियों को फेकने को लघु अपराय माना जाकर मौके पर ही आधिक जुर्माना लगाये जाने को प्रसावित करने जा रही है। पर्यावरण एव वन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर इस कानून को प्रभावी एवं मजबूत तंत्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है। इस संबंध में वर्तमान कानून काफी प्रभावशाली नहीं होने से प्रस्तावित संराधिन को स्थानीव निकास कानून के अंतर्गत संचालित किये जाने का उल्लेख है। इस दिशा में स्वच्छता के प्रति जन जामरूकता उत्पन्न करने एव लोगों को शिश्रित करने के प्रति प्रवास किया जाना है। भारत वर्ष में ओक संस्कृति, रीति रिवाज, प्रयायें, अपने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित संहिताओं के आधार से पुष्पित. पल्लवित और विकसित हो रही है। इनमें अमण परम्परा के अंतर्गत ''जैन धर्म भी अनादिकाल से अपने धार्मिक विश्वासों के आधार से अहिंसा प्रवान जीवन जैली का आवरण करते हुए भारतीय संस्कृति के विकास में योगवान देता आ रहा है। जैन धर्म के आवरण प्रवान प्रन्यों में विहित निर्देशों के अनुरूप दिगम्बर जैन परम्परा के साधक आचार्य, उपाध्याय, मुनि आर्टिका, पेलक, जल्लक, जल्लक। वती ब्रावक, ब्रविकारों, ब्रह्माचारी प्रवान ब्रह्मचार्राण्यां आदि आईसा व्रत के परिपालन हेतु खुले स्थान में सवा-सं ही शोच किया का परिपालन करते है।

स के बाथ प्रसंध का गर्भारों ने स्वयं प्लाचार के मूलगुण अधिकार तथा लगभग के इलार वर्ष प्राचीन क्रम्थ मुलाचार के मूलगुण अधिकार तथा पंचाचार अधिकार में श्री कुंद कुंद आचार्य, वट्ट केराचार्य एवं आचार्य वसुनंदी सिद्धान्त चक्रवती जी ने दिगम्बर जैन श्रमण आदि के लिये खुले स्थान पर शौच क्रिया करने के लिएं निर्देशित किया है। प्राचीन जैन प्रश्नों में दिगम्बर जैन सत्तों की आचर सहिता वृति में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये है कहा ऐसा प्रदेश जहाँ हल चल चुका है, रमशान भूमि, अंगारों से अगिन आदि से जहा प्रदेश, ऊसर प्रदेश जिसे बंजर भी कहते है अर्थात जहाँ पर चास आदि नहीं उगती है ऐसी कड़ी भूमि का प्रदेश जहाँ पर लोगों का विरोध नहीं है ऐसा विशाल-खुला ढुआ बढ़ा स्थान यहाँ पर तो इन्द्रिय चिन्दी आदि ग्राच नहीं है ऐसा विशाल-खुला हुआ बढ़ा स्थान यहाँ पर तो इन्द्रिय चिन्दी आदि को लग करें अर्थात आंचत भूमि प्रदेश में शौचादि लिये जावे। ऊपर लिखित विवरण से यह सुरसप्ट हो जाता है कि अहिंसा व्रत के परिपालन हेतु उपयुक्त भूमि नगर-ग्राम के खुले में जीव जन्तु रहित स्थान पर ही दिगम्वर जैन सन्तों द्वारा मल मूत्र आदि का त्याग किया जाना संभव है।

www.expressnewsindia.com

भारत सरकार जैन समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्प संख्यक समुदाय के हम में 27 जनवरी 2014 को भारत का राजपत्र असीधारण से. 217 अधिसुचना क. का. आ. 267 (अ) में अधिसुचित किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत धारा 25 में अन्तःकरण की और मंगे के अवाध रूप मानते, आवरण और प्रवार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेख है - लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अर्थान रहते हुए सभी व्यक्तियों का अन्तःकारण स्वतंत्रता का और धर्म के अवाध रूप से माननें आचरण करने और प्रचार करने का समान हल होगा। इसके साथ ही धारा 29 में अल्प संख्यक वर्गों के क्रितों के संरक्षण हेतु निम्न प्रावधान किया है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके कि समान हफ होगा। इसके साथ ही धारा 29 में अल्प संख्यक वर्गों के क्रितों के संरक्षण हेतु निम्न प्रावधान किया है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके कि समान हफ होगा। इसके साथ ही घारा 29 में अल्प संख्यक वर्गों के क्रितों के संरक्षण हेतु निम्न प्रावधान किया है। भारत के राज्य श्रेत्र या उसके कि समान हमा हम प्रात क्षेत्र या उसके सि या उस्त में अल्प राज्यकार होगा।

ईएमएस समाचार सेव

יו ווי היו פונו יוינים נוען נייז טוז ו טראי ואיי

'साधु-संतों को कानून में मिले छूट

उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की थी, चूंकि अब एक बार फिर से जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा है और शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखने की बात कही है और इस संबंध में दिल्ली पहुंचकर ही उन्हें पत्र लिखूंगा। जैन समाज के लोगों ने कहा कि संतों के लिए वह इस कानून से छट चाहते हैं।

स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार बहुत अच्छा कानून लाई है, लेकिन इस कानून मैं जैन साघु– संतों के लिए छूट का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वह अपनी चर्या का सही रूप में पालन कर सकें। – संजीव बांझल, प्रवक्ता जैन

55

- सजाव बाझल, प्रविपती जन समाज शिवपुरी ।

या कचरा फेंकने पर 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक अर्थदण्ड वसूल किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। यदि यह नियम लागू होता है तो इससे जैन संतों को अपनी दैनिक चर्या निर्वाहन करने में कठिनाई होगी।

जैन शास्त्रों मे वर्णित मान्यता के अनुसार जैन सन्तों द्वारा खुले व सूखे स्थानों पर ही शौच क्रिया प्रतिदिन की जाती है, ऐसे में यदि जैन संतों पर भी यह कानून लागू हुआ तो निश्चित रूप से जैन संतों पर संकट आ जाएगा। अतः इस कानून के समर्थन में जैन समाज तो है, लेकिन साधु-संतों के लिए वह इस कानून में छूट चाहते हैं। इस आशय का ज्ञापन जब गुना-शिवपुरी लोक सभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैन समाज द्वारा दिया गया तो सिंधिया ने कहा कि उन्हें पूर्व में किसी ने इस विषय से अवगत कराया था और इस संबंध में

जैन समाज की मांग पर क्षेत्रीय सांसद सिंधिया केन्द्रीय मंत्री को लिखेंगे पत्र

शिवपुरी। खुले में शौच वाले कानून में जैन साधु-संतों को छूट मिलनी चाहिए। जैन संत खुले और सूखे स्थान पर ही शौच क्रिया करते हैं। अतः जैन संतों को इस कानून से मुक्त रखना चाहिए, ताकि वह अपने मूल गुणों का पालन नियमानुसार कर सकें।

क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस आशय का एक ज्ञापन जैन समाज द्वारा रविवार शाम सौंपा गया। •इस पर सिंधिया ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने का आश्वासन जैन समाज को दिया। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत

अभियान के तहत खुले में शौच, पेशाब

अड्डालय www.naidunia.com ग्वालियर, मंगलवार 05 अप्रैल 2016

"रतुले में शौच" कानून में साधू-सन्तों को मिले छूट जैन समाज की माँग पर क्षेत्रीय सांसद सिधिया केन्द्रीय मन्त्री को लिखेगें पत्र

शिवपुरी ब्यूरो

खुले मे शौच वाले कानून में जैन साथू-सन्तों को छूट मिलनी चाहिये। जैन सन्त खुले और सूखे स्थान पर ही शौच क्रिया करते हैं। अतः जैन सन्तों को इस कानून से मुक्त रखना चाहिये ताकि वह अपने मूल गुणों का पालन नियमानुसार कर सकं। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस आशय का एक ज्ञापन जैन समाज द्वारा रविवार शाम सौपा गया। जिस पर सिंधिया ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने का आश्वासन जैन समाज को दिया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच, पेशाब या कचरा फैकने पर 200 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक अर्थदण्ड बसल किये जाने के निर्देश जारी किये है और इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों ने, 27 मार्च 2016 को ''खुले में शौच या गंदगी पर 5 हजार तक जुर्माना'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जो यदि लाग होता है तो इससे जैन सन्तों को अपनी दैनिक चर्या निर्वाहन करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। जैन शास्त्रों मे वर्णित मान्यता के अनुसार जैन सन्तों द्वारा खुले व सुखे स्थानों पर ही शौच क्रिया प्रतिदिन की जाती है ऐसे में यदि जैन सन्तों पर भी यह कानून लागू हुआ तो निश्चित रूप से जैन सन्तों पर संकट आ जायेगा। अतः इस कानून के समर्थन में जैन समाज तो है परन्तु साधू-सन्तों के लिये वह इस कानून में छूट चाहते है।

यह बोले सांसद सिंधिया

इस आशय का ज्ञापन जब गुना-शिवपुरी लोक सभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैन समाज द्वारा दिया गया तो सिंधिया ने कहा कि उन्हें पूर्व में किसी ने इस विषय से अवगत कराया था और इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की थी चूँकि अब एक बार फिर से जैन समाज ने ज्ञापन सौपा है और शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखने की बात कही है और इस संबंध में दिल्ली पहुँचकर ही उन्हें पत्र लिख्गा।



जैन समाज की मांग पर क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्या सिंधिया ने कहा - केंद्रीय मंत्री को लिखेंगे पत्र

खुले में शौच' कानून से साधु-संतों को मिले छूट

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

HIU

'खुले में शौच' वाले कानून में जैन साधु- संतों को छूट मिलनी चाहिए। जैन संत खुले और सूखे स्थान पर ही शौच क्रिया करते है। अतः जैन सन्तों को इस कानून से मुक्त रखना चाहिए ताकि वह अपने मूल गुणों का पालन नियमानुसार कर सकें। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस आशय का एक ज्ञापन जैन समाज द्वारा रविवार शाम सौपा गया। जिस पर सिंधिया ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने का आश्वासन जैन समाज को दिया।



जैन समाज द्वारा ज्ञापन देने के बाद मंच से अपनी बात रखते सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया।

जैन साधु-संतों के लिए छूट का प्रावधान हो

रवच्छना अभियान के तहत सरकार बहुत अच्छा कानून लाई है लेकिन इस कानून में जैन साथु-संतों के लिये छूट का प्रावधान होना चाहिए ताकि वह अपनी चर्चा का सही रूप में पालन कर सके। - देवेंद्र जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन मिलन

देनिक भारकर

ग्वालियर, मंगलवार 5 अप्रैल, 2016

भारत सरकार ने लगाया है प्रतिबंध

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत रचुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकने पर 200 रुपए से लेकर 5000रुपए तक अर्थवंड वसूल किये जाने के निर्वेश जारी किये है और इस संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों ने, 27 मार्च 2016 को ''खुले में शौच या गंदगी पर 5 हजार तक जुर्माना'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किए थे। जो यदि लागू होता है तो इससे जैन सन्तों को अपनी दैनिक चर्या निर्वहन करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। जैन शारजों मे वर्णित मान्यता के अनुसार जैन सन्तों द्वारा खुले व सूखे स्थानों पर ही शौच किया प्रतिदिन की जाती है ऐसे में यदि जैन सन्तों पर भी यह कानून लागू हुआ तो निश्चित रूप से जैन सन्तों पर भी यह कानून लागू हुआ तो हिस्वित रूप से जैन सन्तों पर भी यह कानून तागू हुआ तो

इस आशय का ज्ञापन जब गुना-शिवपुरी लोक सभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैन समाज द्वारा दिया गया तो सिंधिया ने कहा कि उन्हें पूर्व में किसी ने इस विषय से अवगत कराया था और इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की थी चूंकि अब एक बार फिर से जैन समाज ने ज्ञापन सौपा है और शहरी विकास,आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार को पत्र तिख्वने की बात कही है और इस संबंध में दिल्ली पहुंचकर ही उन्हें तिख्युंगा ।

यह बोले सांसद सिंधिया

भोपाल, मंगलवार, 12 अप्रैल, 20

नविश्वमारत

जैन संतों को खुले में शौच की छूट की मांग

जैन मिलन की बैढक में उठा मुद्दा

राघौगढ़. जैन मिलन युवा जैन मिलन राघौगढ़ की मासिक बैठक गणेश मंदिर धीरपुर पर्यटन स्थल पर संपन्न हुई. बैठक में मुख्य अतिथि जैन मिलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कुमार जैन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हाल ही में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि आगामी 30 अप्रैल से खुले में शौच-पेशाब एवं गंदगी फैलाने वालों पर 200 से 5 हजार रुपए का जुर्माना किया जाए. श्री जैन ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को उचित बताया. साथ ही इस आदेश में आंशिक संशोधन कर जैन साधु संतों को खुले में शौच करने की छूट देने की मांग की है. बैठक में विशेष अतिथि शीतलचंद कठारी, अशोक भारिल्य भी उपस्थित रहे, अध्यक्षता विजय जैन ने की. अतिथियों का स्वागत शाखा मंत्री डीके जैन ने किया. इस मौके पर निर्णय लिया गया कि आगामी मई माह में ओपोल अस्पताल इंदौर के सहयोग से राघौगढ में हदय. रोग निदान शिविर आयोजित किया जाएगा. बैठक में मुख्य रूप से रूपेश कुमार चौधरी, रमेशचंद जैन, सुभाषचंद चौधरी, सुरेशचंद जैन, विनय जैन, आकाश जैन, संजय कुमार जैन, राजकुमार जैन, दिलीप जैन, जितेन्द्र जैन, मुकेश जैन, दीपक जैन आदि उपस्थित थे.